न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 21/21 GCMS NO 2021/40

रामस्वरूप पुत्र घीस्या जाति मीना निवासी नकटीपुरा (गढी का गांव) तहसील मण्डरायल जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. जयसिह
2. नरसी
3. भाईराम
4. फत्ते पिसरान श्रीलाल
5. सीमा बेवा श्रीलाल जातियान मीना निवासीयान नकटीपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली
6. रेखा पुत्री श्रीलाल पत्नि लक्ष्मण जाति मीना निवासी हाल अकोलपुरा तहसील करौली जिला करौली
7. लोकेश उम्र 16 साल
8. बृजेश उम्र 14 साल पुत्रान कल्ला नाबालिंग जरिये संरक्षक मॉ लोहरी बेवा कल्ला जाति मीना
9. लोहरी बेवा कल्ला मीना
10. सियाराम पुत्र धनसी जाति मीना निवासीयान नकटीपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली
11. भैरोबाई पत्नि श्रीचंद जाति मीना निवासी आंतरीपुरा तहसील मण्डरायल
12. सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया शाखा करौली जरिये शाखा प्रबंधक करौली जिला करौली
13. पंजाब नेशनल बैक शाखा करौली जरिये शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा करौली जिला करौली
14. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मण्डरायल जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 18/15 निर्णय व डिक्री दिनांक 3.2.21 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डरायल)

अभिभाषक अपीला0 श्री रामजीलाल अग्रवाल

अभिभाषक रैस्पो0 12 की ओर से श्री संतोष कुमार शर्मा

दिनांक 12.3.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 3.2.21 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डरायल पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलांट रामस्वरूप पुत्र घीस्या द्वारा दावा धारा 53, 188 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

आराजीयात कुल खसरा 35 कुल रकबा 21 बीघा 8 विस्वा वाके ग्राम गढी का गांव तहसील मण्डरायल जिला करौली मे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 के शामलाती खातेदारी मे कब्जे काश्त की स्थित है। जिसमे वादी का 1/3 हिस्सा है। आराजी खसरा न0 1224/1277 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम गढी का गांव तहसील मण्डरायल जिला करौली मे स्थित है जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा है। जो नकल जमाबंदी से स्पष्ट है। उक्त विवादित आराजीयात पर हिस्सा मुताबिक जमाबंदी वादी का प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त करता चला आ रहा है। वादी दिनांक 3.12.14 को उक्त विवादित आराजीयात पर शामलाती काश्त की देखभाल कर रहा था तो प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 व 10 लगायत 12 वादी से आमादा फसाद हो गये तथा वादी को इन लोगो द्वारा यह धमकी दी गई कि हम तुझे इस जमीन पर काश्त नही करने देगे तथा भविष्य मे हम ही काश्त करेगे एवं जान से मारने की धमकी दी गई तथा आराजीयात को बेचान करने की भी धमकी दी गई। इसलिए वादी का उक्त विवादित आराजीयात को शामलाती काश्त करना संभव नही है। प्रतिवादीगण द्वारा आराजीयात का बंटवारा कराने से साफ इंकार कर दिया गया। इसलिए वादी मुताबिक हिस्सा जमाबंदी उक्त विवादित आराजीयात का बंटवारा प्रतिवादीगण से कराकर रेवेन्यू रिकार्ड में अमल कराने का अधिकारी है एवं वादी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद कराने का अधिकारी है कि वह मुझ वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं डाले न किसी अन्य से डलावे व वादी को शांतिपूर्वक काबिज रहकर आराजीयात को काश्त करने देवे। अतः दावा वादी इस अमर का डिक्री फरमाया जावे कि आराजीयात कुल किता 35 कुल रकबा 21 बीघा 8 विस्वा वाके ग्राम गढी का गांव तहसील मण्डरायल मे वादी का 1/3 हिस्सा व आराजी खसरा न0 1224/1277 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम गढी का गांव तहसील मण्डरायल मे वादी को 1/3 हिस्से मुताबिक जमाबंदी वाई मीटस एण्ड बाउन्डस बंटवारा किया जाकर रेवेन्यू रिकार्ड मे वादी के हक मे अलग से इन्द्राजात किये जावे। तथा वादी के हिस्से मे आई आराजीयात मे अलग से वादी का कब्जा कराया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं डाले न किसी अन्य से डलवाये। वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का वाद पत्र दिनांक 17.6.16 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार मण्डरायल को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार मण्डरायल द्वारा बंटवारा स्कीम अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक बंटवारा स्कीम वादी का वाद पत्र फाईनल डिक्री किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 संख्या 1 ता 11 व 13 बाबजूद तामिल के उपस्थित नही होने से बहस अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 12 के अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई मधोपुर

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से पत्रावली का सुक्ष्म रूप से अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। वाद पत्र की आदेशिका दिनांक 24.2.16 को पत्रावली जबाब दावा के लिए नियत थी इसके उपरान्त दिनांक 30.3.16, 27.4.16 व 27.5.16 तक जबाब दावा के लिए नियत रही है किन्तु दिनांक 27.5.16 को पी ओ साहब राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित बताते हुए पत्रावली को वगैर जबाब दावा प्रतिवादीगण का लिये दिनांक 17.6.16 के लिए राजस्व लोक अदालत के लिए नियत की गई और बगैर जबाबदेही तनकीयात विरचित किये वगैर प्रकरण को प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार मण्डरायल को बंटवारे के लिए कमिश्नर नियुक्त कर बंटवारा स्कीम तलब की गई। यह तलबी बंटवारा स्कीम दिनांक 15.7.20 को प्रतिवादी न0 11 की ओर से रामसहाय पाराशर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर आर्डर 22 रूल 4 सीपीसी की दर0 पेश की। आर्डर 22 रूल 4 की दर0 को दिनांक 30.12.20 को तय करते हुए प्रतिवादी न0 7 कल्ली का नाम हजफ करने के आदेश दिये गये और बंटवारा स्कीम की बहस के लिए तारीख 13.1.21 नियत की गई, दिनांक 13.1.21 को बंटवारा स्कीम को तहसीलदार मण्डरायल को वापिस भेज दी गई। उसके बाबजूद बंटवारा स्कीम पर वादी को सुनवाई का अवसर दिये वगैर बंटवारा स्कीम वादी की गैरमौजूदगी मे तैयार कर गलत बंटवारा स्कीम के आधार पर दावा वादी डिक्री करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की भूल की है। क्योकि खसरा न0 1184 पर वादी का कब्जा होते हुए वादी के हक मे खसरा न0 1184 को शामिल नही कर विवाद उत्पन्न कर दिया है, इस खसरा न0 को सियाराम पुत्र धनसिह रेस्पो0 के हक मे एवं दीगर रेस्पो0 के हक मे बंटवारा स्कीम मे शामिल कर विवाद उत्पन्न कर दिया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने वादी को सुनवाई का उचित अवसर दिये बगैर विधि विरूद्व दावा डिक्री करने मे कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नही किया कि इन्ही पक्षकारान के मध्य रेस्पो0 सियाराम बनाम रामस्वरूप दावा नम्बरी 20/20 धारा 53 व 188 आर टी एक्ट का अधिनस्थ न्यायालय मे जैरकार है और आगामी तारीख पेशी दिनांक 5.5.21 नियत है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि समान पक्षकारान के मध्य समान भूमि बाबत दो दावे लंबित रहते हुए दोनो दावो को समेकित कर निर्णय पारित करना अधिनस्थ न्यायालय का कर्तव्य है। दावा उनवानी सियाराम बनाम रामस्वरूप को समेकित किये बिना ही वादी को नुकसान पहुँचाने की नियत से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व पारित की गई है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी न0 13 व 14 के सबंध मे कोई तथ्य अंतिम बंटवारा स्कीम मे दर्ज ना करके रहन की जमीन बाबत कोई निर्णय पारित ना करके विधि की भारी भूल की है। इसलिए निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय निरस्त योग्य है। पटवारी हल्का ने बंटवारा स्कीम बनाते समय वादी को नही बुलाया और बंटवारा स्कीम मे यह लिखना कि रामस्वरूप व जयसिह उपस्थित होते हुए हस्ताक्षर करने से इंकार किया है वे मायने हो जाता है क्योकि दावा मे दो व्यक्यिो के अतिरिक्त अन्य पक्षकार भी है उनको सूचित करने का काम तहसीलदार व हल्का पटवारी द्वारा सूचित करना अथवा मौके के गवाहान के

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

हस्ताक्षर कराना आवश्यक था। इसलिए भी बंटवारा स्कीम काबिल विश्वास ना होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय वादी की गैरमौजूदगी मे किया गया है इसलिए निर्णय व डिक्री की जानकारी समय पर नही हो सकी। इसलिए धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3.2.21 को निरस्त किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय मे जैर तजबीब दावा सियाराम बनाम रामस्वरूप को समेकित करने के लिए रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पो0 संख्या 12 के अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात के खातेदारान द्वारा भूमि बैक के रहन रखी जाकर ऋण प्राप्त किया हुआ है। अतःसबंधित खातेदारान को बैक का ऋण चुकता करने के निर्देश प्रदान किये जावे।

अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 12 के अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिसका विधिवत रूप से बंटवारा नही होने से पक्षकारान के मध्य काश्त को लेकर आपस मे झगडा फसाद होता है। इस कारण वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे हिस्से अनुसार बंटवारा कराने की प्रार्थना की गई थी। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि बंटवारा कमिश्नर द्वारा जो बंटवारा स्कीम तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय मे पेश की गई है उसमें खातेदारान के कब्जे को नही देखा गया है ना ही बंटवारा स्कीम तैयार करते समय वादी एवं प्रतिवादीगण को मौके पर नही बुलाया गया है ना ही बंटवारा स्कीम पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर कराये गये है। अपीलांट अधिवक्ता के उक्त कथन की पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध बंटवारा स्कीम से होती है। जिस पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नही है जबकि बंटवारा स्कीम के सबंध मे माननीय राजस्व मंडल द्वारा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा स्कीम बनाने के निर्देश जारी किये हुए है। बंटवारा कमिश्नर द्वारा माननीय मण्डल के नियमो को अनदेखा कर बंटवारा स्कीम तैयार की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर ध्यान नही देकर त्रुटिपूर्ण बंटवारा स्कीम के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी की गई है। जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है कि प्रकरण मे बंटवारा कमिश्नर अर्थात तहसीलदार को निर्देशित किया जावे कि बंटवारा स्कीम तैयार करने के बाबत सूचना उभयपक्ष को जरिये नोटिस दी जावे एवं स्वयं तहसीलदार मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम माननीय मण्डल के निर्देशान्तर्गत तैयार कर पेश करे एवं अधिनस्थ न्यायालय प्राप्त बंटवारा स्कीम अनुसार पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल के प्रकरण संख्या 18/15 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3.2.21 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

किया जाता है कि प्रकरण मे बंटवारा कमिश्नर अर्थात तहसीलदार को निर्देशित किया जावे कि बंटवारा स्कीम तैयार करने के बाबत सूचना उभयपक्ष को जरिये नोटिस दी जावे एवं स्वयं तहसीलदार मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम माननीय मण्डल के निर्देशान्तर्गत तैयार कर पेश करे एवं अधिनस्थ न्यायालय प्राप्त बंटवारा स्कीम पर उभयपक्ष का सुना जाकर पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.4.2026 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को लिखाय जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर